[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी, 2017

सं.02/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. (अ),- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ख) और (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/94-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे सा.का.नि. 830 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ में,-

(i) पांचवें परंतुक में, "बशर्ते और भी कि लोकसाण और नागरकाटा को भू-सीमा शुल्क केन्द्र बनाया गया है" शब्दों, के स्थान पर "बशर्ते कि नागरकाटा को एक भू-सीमा शुल्क केन्द्र बनाया गया है" शब्दों, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) छठें परंतुक में, "लोकसाण, नागरकाटा और कुलकुली", शब्दों के स्थान पर "नागरकाटा और कुलकुली", शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी में, भूटान की सीमांत भूमि संबंधित क्रम सं. 3 के समक्ष,-

(i) कॉलम (3) में, मद (1) के समक्ष कॉलम (4) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(क) रांगिया- तमुलपुर मोटरेबल रोड जो कि दारंग से समद्रुप- झांखड़ (भूटान में) से असम के कामरूप जिले तक आती है;

(ख) असम के बोकाजुली को भूटान के मोटंगा इंडस्ट्रियल स्ट्रीट से जोड़ने वाला मार्ग।"

(ii) कॉलम (3) में, मद (8) के पश्चात और कॉलम (3) और (4) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		"(9) भारत में असम के बक्सा जिले के कमरदिशा (रंगपाणि)	"भारत के कमरदिशा को भूटान के नंगलम से जोड़ने वाली सड़क।
		(10) भारत में पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में बीरपाड़ा"	(क) भारत के बीरपाड़ा को भूटान के गोमटु से जोड़ने वाली सड़क जो कि डालमोर चाय बागान (भारत) और मकरापाड़ा चाय बागान (भारत) से होकर जाती है। (ख) भारत के बीरपाड़ा को भूटान के पुगली से जोड़ने वाली सड़क जो कि डालमोर चाय बागान (भारत) और लंकापाड़ा चाय बागान (भारत) से होकर जाती है"

[फा.सं. 554/11/2012-एलसी]

(टेम्सुनारो जमीर)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 63/94-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, सा.का.नि. 830 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 146/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 दिसम्बर, 2016, सा.का.नि. 4035 (अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।